कार्यालय, जिला अग्निशमन अधिकारी, वैशाली

पत्रांक/ऑडिट- **VA2026A08295**

दिनांक- **24/09/2026**

☏ **+91 9973337974**

✉ **fso-haijpur-bih@gov.in**

सेवा में,

raj gaurav jha / INDIAN PUBLIC SCHOOL HAJIPUR,
house no 24 pokhara mohala subhash chowk hajipur / MAHATMA GHANDHI SETU ROAD PASWAN CHOWK HAJIPUR, Vaishali, 844101
Email id: ips.hajipur.vaishali@gmail.com, Mob No.: 9304112969

विषयः- अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके द्वारा दिनांक **28/05/2026** को अग्नि अंकेक्षण हेतु आवेदन समर्पित किया गया था। अनुमण्डल अग्निशामालय पदाधिकारी **हाजीपुर** द्वारा दिनांक **02/06/2026** को अग्नि अंकेक्षण कर बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली, 2021 के नियम 22 (ख) में वर्णित प्रपत्र 'श' निर्गत किया गया। अग्नि अंकेक्षण के दौरान पायी गई कमियों/त्रुटियों का निराकरण किया गया है।

इस प्रकार, बिहार अग्निशमन सेवा नियमावली 2021 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता 2016 के तहत भवन/परिसर में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा के उपाय क्रियाशील एवं पर्याप्त प्रतीत हो रहे है।

अतः आपको वार्षिक अग्नि अंकेक्षण प्रमाण-पत्र निर्गत किया जा रहा है। इसकी वैधता निर्गत की तिथि से एक वर्ष की होगी। संबंधित संस्थान प्रबंधक/मालिक उक्त संस्थान के प्रमाण-पत्र की वैध तिथि से पूर्व अग्नि अंकेक्षण कराना सुनिश्चित करें।

ह०/-
जिला अग्निशमन पदाधिकारी, वैशाली

प्रतिलिपिः-

01. निदेशक-सह-राज्य अग्निशमन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ।
02. अनुमण्डल अग्निशामालय पदाधिकारी, **हाजीपुर** को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

Digitally signed by PREETI SINGH
Date: 2026.09.24 20:26:09 +05:30

जिला अग्निशमन पदाधिकारी, वैशाली